नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम डाबला तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 566/2018 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 श्री रामजीवण पिता लादु ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

2 भंवरी देवी पुत्री लादु ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

3 गीता देवी पत्नि लादु ब्राहमण उम्र वयस्क नि0 कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

----------**प्रार्थीगण**

बनाम

1 ग्राम पंचायत कासोरिया जरिये ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव, ग्राम पचांयत कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

2 ग्राम पंचायत कासोरिया जरिये सरपंच, ग्राम पचांयत कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

3 बेंक ऑफ बडौदा शाखा डाबला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा जरिये शाखा प्रबन्धक

4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

----------**अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित –

1 श्री रामजीवण ब्राहमण.........प्रार्थी संख्या 01 मय अधिवक्ता

2 विपक्षी संख्या 01, 02

3 पेरोकार सरकार विपक्षी संख्या 04

निर्णय

दिनांक – 01.06.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थीगण/अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कुण्डियाखुर्द पटवार मण्डल डाबला तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 244 के आराजी न0 71, 188, 190/1, 191/1, 205/1, 206/1, 208/1, 295, 309/1 कुल किता 09 कुल रकबा 15–13 बीघा प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थीगण के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षि की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की खातेदारी आराजीयात ग्राम कासोरिया प.ह. क्षैत्र कासोरिया स्थित आराजी सं0 1938 रकबा

...अधिकारी

11–04 बीघा भूमि के मेर के सहारे–सहारे 15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम डाबला दिनांक 01.06.2018 के लिए पंजीबद्ध किया गया। नियत शिविर के दौरान विपक्षी संख्या 01 व 02 ने उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति प्रदत्त की एंव इसके प्रमाण में लौटकर प्राप्त तलबी हेतु जारी सुचनापत्र के पृष्ठाकंन पर कोई उजर/आपत्ति नही होना अंकित किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। शेष विपक्षी संख्या 03 सूचना के बावजूद नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया।

तहसीलदार बनेडा द्वारा मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु संबधित हल्का पटवारी कासोरिया की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। नवीन रास्ता हेतु हल्का पटवारी द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, तैयार प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी कासोरिया द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 की मौजा कासोरिया स्थित आराजी न0 1938 मे से 00–02 बिस्वा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा मय मौका पर्चा हल्का पटवारी कासोरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल मात्र 00–02 बिस्वा का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी न0 1938 मे से 00–02 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारो की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थीगण द्वारा 12.00 फिट का चाहे गये नवीन रास्ते के मुकाबले तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तावित मौजा कासोरिया की स्थित आराजी न0 1938 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–02 बिस्वा (12 फिट) भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अधिकारी

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश इस प्रका प्रदत्त किये जाते है कि मौजा कासोरिया पटवार हल्का क्षैत्र कासोरिया कि आराजी न0 193 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00—02 बिस्वा (12 फिट) भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का कासोरिया द्वारा प्रस्तावित उक्त 00—02 बिस्व का जिसे नजरी नक्षा में प्रर्दश किया गया है, उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी कासोरिया के प्रस्ताव अनुसार रास्त कायम किया जावे।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 473 आराजी न0 1938 रकबा 11—04 बीघा मे से 00—02 बिस्वा (12.00 फीट) मुताबिक प्रस्ताव, रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी न0 1938 वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दर प्रति बीघा अनुसार 00—02 बिस्वा मालियत राशि की दुगुनी राशि (0.02 बिस्वा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान, शिविर मुकाम डाबला में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)